

दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग 4 में प्रकाशनार्थ

अधिसूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
योजना विभाग

सं0एफ 5 / 1 / 09 / योजना / जनगणना / अ.स.नि.-2974-2984 दिनांक 27.5.2009 जनगणना अधिनियम, 1990 के नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, (भारत के महाराजिस्ट्रार का कार्यालय) नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी, 2009 को सहर्ष पुनः प्रकाशित करते हैं :—

“का.आ. 562 (अ) जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा, यह घोषणा करती है कि वर्ष 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की गणना की जायेगी। जनगणना के लिए संदर्भ तारीख, जम्मू और कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों को छोड़कर, मार्च, 2011 का प्रथम दिवस, 00.00 बजे होगी :

परन्तु जम्मू और कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए संदर्भ तारीख, अक्टूबर, 2010 का प्रथम दिवस 00.00 बजे होगी।

[(फा.सं. 9 / 7 / 2009—सी.डी.(सेन)]
देवेन्द्र कुमार सीकरी, भारत के महाराजिस्ट्रार
एवं जनगणना आयुक्त
आदेश एवं उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
के नाम से

(सुमिति मेहता)
प्रधान सचिव —योजना

सं0 एफ 5 / 1 / 09 / योजना / जनगणना / अ.स.नि.-2974-2984

दिनांक 27.5.2009

प्रति अग्रेपित—

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना को दिल्ली आसाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें।
2. समस्त विभाग प्रमुख,, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
3. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली
4. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
5. अधिशासी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली केन्ट
6. पुलिस आयुक्त, दिल्ली
7. उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, दिल्ली
8. मुख्य सचिव के विशेष उद्यूटी अधिकारी
9. भारत के महाराजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली
10. जनगणना निदेशक, कमरा नं० 207, पुराना सचिवालय, दिल्ली
11. समस्त उपायुक्त (सामान्य 9 जिलों) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(सुमिति मेहता)
प्रधान सचिव —योजना

(To be published in extra-ordinary Delhi Gazette – Part IV)

NOTIFICATION

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI PLANNING DEPARTMENT

No. 5/1/09/-Plg./Census/DES/2974—2984 Dated 27.5.2009 In exercise of the powers conferred by Rule 8 of the Census Rules, 1990, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to publish the following notification of Govt. of India, Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General India), New Delhi dated 20th Feb., 2009.

S.O. 562(E)- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Census Act, 1948(37 of 1948), the Central Government hereby declares that a Census of the Population of India shall be taken during the year 2011. The reference date for the census shall, except for the State of Jammu and Kashmir and snow bound non-synchronous areas of Himachal Pradesh and Uttarakhand, be 00.00 hours of the first day of March, 2011.

Provided that for the State of Jammu and Kashmir and snow bound non-synchronous areas of Himachal Pradesh and Uttarakhand, the reference date shall be 00.00 hours of the first day of October, 2010.

[File No. 9/7/2009-CD(CEN)]
D.K.SIKRI, Registrar General and
Census Commissioner, India.
By order and in the name of
the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi.

F.No. 5/1/09/-Plg./Census/DES/2974—2984

(SUMATI MEHTA)
PR. SECRETARY (PLG.)
GOVT. OF N.C.T. OF DELHI
Dated 27-5-2009

Copy forwarded to:

1. The Pr. Secretary (General Administrative Department),, Govt. of N.C.T. of Delhi with the request that the notification may be published in the Extra Ordinary Delhi Gazette.
2. All Head of Departments, Govt. of N.C.T. of Delhi
3. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.

4. Chairman, NDMC, New Delhi.
5. Executive Officer, Delhi Cantonment Board, Delhi Cantt.
6. Commissioner of Police, Delhi
7. Pr. Secretary to L.G. Govt. of N.C.T. of Delhi
8. OSD to Chief Secretary, 5th level, A-Wing, Delhi Sectt., I.P. Estate, New Delhi
9. Registrar General and Census Commissioner, India, 2/A, Man Singh Road, New Delhi.
10. Directorate of Census Operations, R.No. 207, Old Sectt., Delhi
11. All Dy. Commissioners of 9 Districts, Govt. of N.C.T. of Delhi

(SUMATI MEHTA)
PR. SECRETARY (PLG.)

दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग 4 में प्रकाशनार्थ

अधिसूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
योजना विभाग

सं0एफ [5/1/09/योजना/जनगणना/अ.स.नि.-2963-2973](#) दिनांक 27.5.2009 जनगणना अधिनियम, 1990 के नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, (भारत के महाराजिस्ट्रार का कार्यालय) नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 2 अप्रैल, 2009 को सहर्ष पुनः प्रकाशित करते हैं :—

“का.आ. 929 (अ) जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17 अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा, भारत की जनगणना 2011 का पूर्व-परीक्षण करने के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार करती है। पूर्व-परीक्षण का कार्य सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 28 जून, 2009 से 17 अगस्त, 2009 तक किया जाएगा।

[(फा.सं. 9/7/2009—सी.डी.(सेन)]
देवेन्द्र कुमार सीकरी, भारत के महाराजिस्ट्रार
एवं जनगणना आयुक्त
आदेश एवं उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
के नाम से

(सुमति मेहता)
प्रधान सचिव —योजना

सं0 एफ [5/1/09/योजना/जनगणना/अ.स.नि.-2963-2973](#)

दिनांक 27.5.2009

प्रति अग्रेपित—

- प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना को दिल्ली आसाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें।
- समस्त विभाग प्रमुख,, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली
- अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
- अधिशासी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली केन्ट
- पुलिस आयुक्त, दिल्ली
- उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, दिल्ली
- मुख्य सचिव के विशेष डिप्यूटी अधिकारी
- भारत के महाराजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली
- जनगणना निदेशालय, कमरा नं० 207, पुराना सचिवालय, दिल्ली
- समस्त उपायुक्त (सामान्य 9 जिलों) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(सुमति मेहता)
प्रधान सचिव —योजना

(To be published in extra-ordinary Delhi Gazette – Part IV)

NOTIFICATION

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI PLANNING DEPARTMENT

No. 5/1/09/-Plg./Census/DES/2963-2973 Dated 27-5-2009 In exercise of the powers conferred by Rule 8 of the Census Rules, 1990, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to publish the following notification of Govt. of India, Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General India), New Delhi dated 2nd April, 2009.

S.O. 929(E)- In exercise of the powers conferred by section 17 A of the Census Act, 1948(37 of 1948), the Central Government hereby extends the provisions of the said Act, for conduct of pre-test of Census of India 2011. The pre-test shall be conducted from 28th June, 2009 to 17th August, 2009 in all the States and Union Territories.

[File No. 9/7/2009-CD(CEN)]
D.K.SIKRI, Registrar General and
Census Commissioner, India.
By order and in the name of
the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi.

(SUMATI MEHTA)
PR. SECRETARY (PLG.)
GOVT. OF N.C.T. OF DELHI

F.No. 5/1/09/-Plg./Census/DES/2963-2973

Dated 27-5-2009

Copy forwarded to:

1. The Pr. Secretary (General Administrative Department)., Govt. of N.C.T. of Delhi with the request that the notification may be published in the Extra Ordinary Delhi Gazette.
2. All Head of Departments, Govt. of N.C.T. of Delhi
3. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
4. Chairman, NDMC, New Delhi.
5. Executive Officer, Delhi Cantonment Board, Delhi Cantt.
6. Commissioner of Police, Delhi
7. Pr. Secretary to L.G. Govt. of N.C.T. of Delhi
8. OSD to Chief Secretary, 5th level, A-Wing, Delhi Sectt., I.P. Estate, New Delhi

9. Registrar General and Census Commissioner, India, 2/A, Man Singh Road, New Delhi.
10. Directorate of Census Operations, R.No. 207, Old Sectt., Delhi
11. All Dy. Commissioners of 9 Districts, Govt. of N.C.T. of Delhi

(SUMATI MEHTA)
PR. SECRETARY (PLG.)